# न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 135/2020 | दायर दिनाँक 09.07.2020

वादीया

1. पारू देवी पत्नि पूनम चन्द उम्र 23 वर्ष जाति माली निवासी मैदासर बास डीडवाना, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

सत्यमेव जयते

दावा बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी वकील वादी।

दिनाँक 14.05.2022

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है वादीया एवं वादीया के पति का नाम नाम राजस्व रेर्काड में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वर्तमान खातेदारी में पारू देवी पत्नि पूनम चन्द कौम माली साकिन देह खातेदार ग्रामका नाम मैदासर बास, डीडवाना पटवार हल्का डीडवाना भू.अभि.लेख निरक्षक डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 की जमाबंदी में दर्ज होना चाहिए था। परन्तु अशुद्ध नाम सहवन से पार्वती पत्नि पूर्णमल कौम माली साकिन देह खातेदार खसरा सं0 1883 में दर्ज हो गया है।

यह है कि पार्वती पत्नि पूर्णमल उर्फ पारू देवी पत्नि पुनमचन्द दोनो एक ही महिला के नाम है तथा वादिया एवं वादिया के पति सरकारी रेकार्ड में जिसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जन आधार कार्ड इत्यादि में पारू देवी पत्नि पूनम चन्द की नाम दर्ज है।

यह है कि वादीया के नाम में राजस्व रेकार्ड में अशुद्ध नाम पार्वती पत्नि पूर्णमल दर्ज होने से हमारे कानूनी अड़चने उत्पन्न हो रही है। जिससे वास्तविक नाम जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना कानूनी रूप से विधि सम्मत आया है।

प्रार्थना वादीया निम्न प्रकार है :–

यह हैकि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी फरमावें कि ग्राम का नाम मैदासर बास डीडवाना पटवार हल्का डीडवाना भू.अभि. नि0 डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर की जमाबंदी में दर्ज खसरा सं0 1883 में दर्ज खातेदार पार्वती पत्नि पूर्णमल के स्थान पर शुद्धिकरण करते हुए पारू देवी पत्नि पूनम चन्द नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का निर्णय फरमावें।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया ... राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। तहसीलदार डीडवाना के पत्र ... 22 ... दिनांक 03.03.2020 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल है।

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। वाद में तहसीलदार डीडवाना व आधार कार्ड आई डी के अनुसार उपरोक्त वर्णित खसरान् में वादीया का नाम पार्वती पत्नि पूर्णमल के स्थान पर पारू देवी पत्नि पूनमचन्द राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीया का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena

Date: 2022.10.14 13:30:28 IST

Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

## आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, तहसीदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार व उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर वाकै सरहद मैदासर बास डीडवाना के खसरा सं0 1883 भूमि में वादीया का नाम पार्वती पत्नि पूर्णमल के स्थान पर पारू देवी पत्नि पूनमचन्द राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **14.05.2022** को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:30:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 135/2020 दायर दिनाँक 09.07.2020

| वादीया | | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| 1. पारू देवी पत्नि पूनम चन्द उम्र 23 वर्ष जाति माली निवासी मैदासर बास डीडवाना, तहसील— डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान। | बनाम् | 1. तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। |

दावा बाबत्
**रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.**

दिनाँक 14.05.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, अतः हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, तहसीदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार व उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर वाकै सरहद मैदासर बास डीडवाना के खसरा सं0 1883 भूमि में वादीया का नाम पार्वती पत्नि पूर्णमल के स्थान पर पारू देवी पत्नि पूनमचन्द राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत....................—....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 14.05.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | <br><br><br>—<br>— | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अर्जी<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन जो बराह डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:30:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner